अशोक पुत्र दुर्गाप्रसाद जाति ब्राहम्ण निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राज0

—सायलान—21

बनाम

सियाराम पुत्र सम्पत जाति ब्राहम्ण निवासी बेरखेडा तहसील सूरौठ जिला करौली राजस्थान

—गैरसायलान—06

दिनांक	फर्द अहकाम		
26/6/2025	आज यह प्रार्थना पत्र सायलान की ओर से श्री अशोक नीमनका एडवोकेट ने उपस्थित होकर पेश किया। प्रार्थना पत्र पर वकील सायल को एकतरफा सुना गया। सायलान को भूमि का उपयोग उपभोग करने मजामहत, मदाखलत नहीं करने, बेदखल नहीं करने, भूमि को व रहनवय नहीं करने हेतु गैरसयालान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः उभयपक्षकारान को जरिये अन्तिरिम अस्थायी निषेधाज्ञा से आगामी आदेश तक पाबन्द किया जाता है कि विवादित आराजी हाल खसरा नम्बर 511, 614, 748, 787 वाके ग्राम बेरखेडा तहसील सूरौठ में रिकॉर्ड की यथास्थिति बनाये रखे एवं गैरसायलान को तलबी हेतु रजिस्टर्ड तामील जारी हो। रजिस्टर्ड तलवाना आगामी तारीख पर पेश नहीं किये जाने की दशा में सुमोटो स्थगन आदेश निष्प्रभावी माना जावेगा। बाद रजिस्टर्ड तलवी हेतु पत्रावली दिनांक 28.07.2025 को पेश हों। (हेमराज गुर्जर) उप खण्ड अधिकारी हिण्डौन जिला करौली		
28/7/25	पत्रावली पेश हुई। बार-बार आवाज दिलाने के पश्चात भी सायल व उसके वकील उप० नहीं हुए। इसलिए मु० नं० 119/2025 मिसल आर० सी० नं० 2025/342 उनवानी अशोक बनाम सियाराम प्रार्थना पत्र बाबत अस्थायी निषेधाज्ञा अदम हाजिरी अदम पैरवी में खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार		

बाद तकमील नं. से [illegible] की जावे

होकर दाखिल दफ्तर हो।

आदेश खुले न्यायालय में सुनाया गया।